गंगा प्रदूषण नियंत्रण अभियान की उपलब्धियां

*९९. **श्री अनन्तराम जायसवल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा प्रदूषण नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं और उसके अन्तगत प्रत्येक मद में खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार के पास भारत की अन्य नदियो को भी प्रदषण-मुक्त करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन तीन राज्यो के लिए 302.26 करोड़ रुपए की लागत पर 262 स्कीमें मंजूर की गई हैं । ये स्कीमें म्यूनिसिपल अपशेष-जल को रोकने, उसकी दिशा बदलने और उसका उपचार करने, अल्प-लागत सफ़ाई, विद्युत् शवदाह गृह बनाए जाने और नदी तट की सुविधाओं के बारे में हैं । मंजूर की गई कुल स्कीमें, स्कीमों की लागत, पूरी की गई स्कीमों की संख्या और अक्तूबर, 1990 तक इन स्कीमों पर किया गया कुल खर्च, प्रत्येक मदवार नीचे दिया गया है :—

स्कीम का नाम	मंजूर की गई स्कीमों की संख्या	स्कीमो की लागत (रु. करोड़ मे)	पूरी की गई स्कीमों की संख्या	अब तक खर्च की गई धन राशि (रु. करोड़ मे)
सीवेज अवरोधन और दिशा-परिवर्तन	89	120.93	47	86.60
सीवेज उपचार संयुत्र	35	121.40	6	46.91
अल्प-लागत सफाई	43	21.98	39	18.36
विद्युत शवदाहगृह	28	12.32	13	12.07
नदी-तट सुविधाएं	35	13.77	27	12.19
अन्य	32	11.86	22	9.25
कुल योग :	262	302.26	154	185.38

अवरोधन और दिशा बदलने की, अब तक पूरी की गई स्कीमों के फल-स्वरूप, लगभग 388 मिलियन लीटर प्रतिदिन मूनिसिपल अपशेष जल को गंगा नदी में गिरने से रोका जा सकता है ।

(ख) और (ग). एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

*९९. **श्री राम नरेश यादव :** क्या जल-भू :ल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अगस्त, 1990 से अब तक दिल्ली में, मासवार, कितनी-कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं मे कितने व्यक्ति/छात्र हताहत हुए;

(ग) इन दुर्घटनाओं में दिल्ली परिवहन निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली कितनी प्राइवेट बसों शामिल थी ;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं और कितनी बसों के लाइसेंस रद्द किये गये है , और

(ङ) दिल्ली में दुर्घटनाओं की संख्या मे कमी लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटड़िया) : (क) दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की महीनावार कुल संख्या निम्नलिखित है :—

महीना	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या
अगस्त, 1990	767
सितम्बर, 1990	627
अक्तूबर, 1990	667
नवम्बर, 1990	662
दिसम्बर, 1990	578
(26 तारीख तक)	
कुल :	3301

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा रखे गए आकड़ो के अनुसार इन दुर्घटनाओं मे 687 व्यक्ति मारे गए और 3307 व्यक्ति घायल हुए । महीनावार ब्यौरे निम्नलिखित है —

महीना	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
अगस्त, 1990	157	822
सितम्बर, 1990	120	629
अक्तूबर, 1990	155	655
नवम्बर, 1990	149	669
दिसम्बर, 1990 (26 तारीख तक)	106	540

दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के बारे में आंकड़े पेशे-वार नही रखे जाते ।

(ग) इन दुर्घटनाओ मे दिल्ली परिवहन निगम की 231 बसें और दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही 65 बसे अन्तर्ग्रस्त थीं ।

(घ) विभिन्न पुलिस थानो में मामले दर्ज करवा दिए गए है और वे जांच के लिए लम्बित हैं अथवा विचारण के लिए लम्बित हैं । इसके अलावा 1.8.1990 से 25 12 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली परिवहन निगम के अधीन बसों के 19 ड्राइवरो के ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित किए गए ।

किसी भी प्राइवेट बस को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े से स्थायी आधार पर नही हटाया गया है ।

(ङ) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली मे विभिन्न सडक प्रयोक्ताओं की सुरक्षा और यातायात के सुचारु रूप से प्रवाह को सुनिश्चित करने प्रयोजनार्थ सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किए है —

(1) यातायात नियमों और विनियमो को सख्ती से लागू करना, अंधाधुध और लापरवाही से, ड्ब्ल्यू/ओ/डी/एल, शराब पीकर, खराब हेड लाइट के साथ वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित रूप मे विशेष अभियान चलाए जा रहे है,

(2) नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमित स्टाफ, यातायात वार्डन और आम जनता द्वारा वाहन मालिकों को नोटिस जारी करके नियमित रूप से मुकदमा चलाना,

(3) दिल्ली यातायात पुलिस के सडक सुरक्षा सेल द्वारा सडक के नियमों और संबंधित सुरक्षा पहलुओं के बारे मे स्कूली बच्चो को स्कूलों मे नियमित रूप से प्रशिक्षण/जानकारी दी जाती है ।

(4) संचार माध्यमों में नियमित विज्ञापन देना ।

इस संबंध में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे निम्नलिखित है :--

1. दिल्ली में 40 कि. मी. प्रति घंटे तक गति को सीमित करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के सम्पूर्ण बेड़े को अंशशोधित (कैलिब्रेट) और नियंत्रित किया गया है ।

2. कम नि ण ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या पाठयक्रम चलाए जाते हैं।

3. ड्राइविंग की पृष्ठभूमि वाले चुनिन्दा निरीक्षकों के विशेष दस्तो द्वार सड़क अनुशासन लागू करना ।

4. दुर्घटना रहित रिकार्ड वाले ड्राइवरों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करना ।

5. ड्राइवरों को सुरक्षात्मक ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा पर फ़िल्में दिखाई जाती है।

6. प्रवेश प्रशिक्षण सुविधाओं का आयोजन।

7. घातक दुर्घटनाओं में अंतर्ग्रस्त नियमित ड्राइवरों को उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपो के आधार पर उदाहरणीय दण्ड देना ।

8. घातक और बड़ी दुर्घटनाओं में अंतर्ग्रस्त रिटेकर चालक दल और प्रवेशनरी ड्राइवरों की सेवाए समाप्त करना।

Inquiry into the death of the late Chief Justice of India in London

*100 SHRI A. G. KULKARNI.
SHRI VISHWARAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the judical enquiry orderd into the negligence by the doctors and officers of the Indian High Commission in London resulting in the death of late Chief Justice Mr. Mukherjee has been completed and if so, what is the outcome thereof;

(b) what were the terms of reference of the Committee enquiring into the matter and what are the names of the members of the Committee; and

(c) what steps are proposed to be taken to aviod such incidents in future?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) On the recommendation of the Chief Justice of India, the Government have requested and obtained the consent of retired Justice Shri O. Chinappa Reddy to look into some aspects of the medical treatment and care received by late Chief Justice Mukherjee The report is awaited.

(c) Appropriate steps will be considered or the basis of the report.

Proposal for Identifying Environmentally friendly consumer products

663. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIORNMENT AND FORESTS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1480 given in the Rajya Sabha on the 22nd May, 1990 and state:

(a) whether Government have identified the environmentally friendly consumer products; and

(b) if so, the steps being to popularise their use ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Memorandum from AICGWB employees Association, Varanasi

664 SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state: